

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138]

नई दिल्ली, मालवार, अरैल 10, 1973/चैत्र 20, 1895

No. 138]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 1973/CHAITRA 20, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

WEALTH-TAX

New Delhi, the 10th April, 1973

S. O. 211 (E).—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O 437 dated the 21st June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 21st June, 1972, at pages 1211 to 1226—

(a) at page 1211,—

- (i) in line 16, for “ In dividuals ” read “ Individuals ”;
- (ii) in line 28, for “ Address Office ” : read “ Address : Office ”;

(b) at page 1212,—

- (i) in lines 16 and 17, for “Annexure III Annexure IV” read “Annexure III/ Annexure IV”;
- (ii) in line 22, omit “ : ” after “ A and B ”;
- (iii) in line 27, for “ Wealth in India .E” read “ Wealth in India ”;
- (iv) in line 32, for “ assessee ” read “ assessees ”;
- (v) in line 33, for “ ordinarity ” read “ ordinarily ”;
- (vi) in line 5 from bottom, for “ Section D and E ” read “ Sections D and E ”;

- (c) at page 1214
- (i) in line 5, for "assessment years" read "assessment year ?" ;
 - (ii) in line 10, for "return if so" read "return ? If so" ;
 - (iii) in line 13, for "assessment year" read "assessment year ?" ;
 - (iv) in line 14, for "reasons below." read "reasons below." ;
 - (v) in line 23, for "Annexure" read "Annexures" ;
 - (vi) in line 24, for "related" read "relate" ;
 - (vii) lines 26, 27, 28 & 29 may be read as below :—
 "I further solemnly declare that
 I
 *
 the person for and on whose behalf this return is furnished
 the person in respect of whose net wealth I am assessable" ;
 - (viii) in line 35, for "net wealth the on" read "net wealth on" ;
 - (ix) in line 4 from bottom, for "REGORIUS" read "RIGOROUS" ;
 - (x) in line 3 from bottom, for "ORDINARY" read "ORDINARILY" ;
- (d) at page 1215,—
- (i) in line 7, for "landd" read "land" ;
 - (ii) in line 15, for "sitaated" read "situated" ;
 and for "(nrban land)" read "(urban land)" ;
 - (iii) in line 32, for "landt" read "land" ;
 - (iv) in line 46, for "section 5(I) (via)" read "section 5(I) (iva)" ;
 - (v) in line 6 from bottom, for "tehisl" read "tchsil" ;
 - (vi) in line 5 from bottom, for "††" read "†" and for "Urban areas" read "Urban area" ;
 - (vii) in line 2 from bottom, for "1000" read "10,000" ;
- (e) at page 1216,—
- (i) (1) in line 4, for "assessee *" read "assessee *" § ;
 - (2) in the heading of column (1) for "No." read "S. No." ;
 - (3) in the heading of column (2), for "iron" read "†Description and situation" ;
 - (ii) in line 14 from bottom, for "Please see Note below Annexure V." read "§ Please see Note below Annexure V." ;
 - (iii) in line 13 from bottom, for "Belo" read "below" ;
 - (iv) in line 6 from bottom, for "††" read "†" and for "whethes" read "whether" ;
 - (v) in line 5 from bottom, for "knew" read "known" ;
 - (vi) in line 5 from bottom, for "municipal corporation notified" read "municipal corporation, notified" ;
 - (vii) in line 5 from bottom, for "committeer" read "committee" ;
 - (viii) in line 3 from bottom, for "8 kilometares" read "8 kilometres" ;
- (f) at page 1217, in line 14 from bottom, for "8 kilometares" read "kilometres" ;
- (g) at page 1218,—
- (i) in line 32, for "Section V" read "Section B" ;
 - (ii) in line 7 from bottom, for "urban assets" read "urban asset" ;
- (h) at page 1219,—
- (i) in line 9, for "Securities bonds" read "Securities, bonds" ;
 - (ii) in line 9 from bottom, for "in struments etc." read "instruments, etc." ;
- (i) at page 1220,—
- (i) lines 11 and 12 may be read as below :—
 "precious metal or any alloy thereof [vide Explanation 1 (a) to sec. 5(I) (viii)] ;
 - (ii) lines 13 and 14 may be read as below :—
 "Precious or semi-precious stones [vide Explanation 1(b) to sec. 5(I) (viii)]" ;
- (j) at page 1221,—
- (i) in line 17, for "taxs" read "tax," ;
 - (ii) in line 23, insert "*" after the word "business" ;
- (k) at page 1223, in line 3, for "non-business state" read "non-business assets" ;
- (l) at page 1224,—
- (i) in line 5, for "section 5 (iA)" read "section 5 (1A)" ;
 - (ii) in lines 17, 19, 24 and 26, for "5 (i) (viii)" read "5 (1) (viii)" ;
 - (iii) in line 24, for "Explanation 1 (a)" read "Explanation 1 (a)" ;
 - (iv) in line 25, for "tones" read "stones" and for "Explanation 1 (b)" read "Explanation 1(b)" ;
- (m) at page 1225,—
- (i) in line 13 from bottom, for "sec. 4(i) (a)" read "sec. 4 (1) (a)" ;
 - (ii) in line 7 from bottom, for "item, (3)" read "(Item 3)" ;

- (iii) in line 5 from bottom, for "Note.—" read "Note. 1.", for "chargeable" read "chargeable" and for "Gift-tax" read "gift-tax";
- (iv) in line 3 from bottom, for "sec. 4 (i) (a)" read "sec. 4 (i) (a)";
- (v) lines 1 and 2 from bottom may be read as below :—
- "NOTE. 2. If the transferred assets or converted property include any immovable property, particulars as indicated in Annexures I to IV should be given.";
- (n) at page 1226,—
- (i) in line 4, for "not wealth" read "net wealth";
- (ii) insert " " at the end of line 20.

[No. 328/F. No. 142(13)/72-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धिपत्र

धन-कर

नई दिल्ली 10 अप्रैल, 1973

का० आ० 212(अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 21 जून, 1972 को प्रकाशित अधिसूचना का०आ० 437 (3) में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जायेंगी:—

1. पृष्ठ 1226/1 पर दी गई तालिका के शीर्षक में 'की आस्तियाँ' के स्थान पर 'को आस्तियों' पढ़ा जायेगा ।
2. पृष्ठ 1226/2 पर नीचे से पांचवीं पंक्ति में 'आस्तियों' के स्थान पर 'आस्तियाँ' पढ़ा जायेगा ।
3. पृष्ठ 1226/3 पर पैरा 3 के प्रारम्भ में 'उपाबंध' से पहले "जैसा कि" शब्द और जोड़े जायेंगे ।
4. पृष्ठ 1226/4 पर सत्यापन की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में 'मैं.....का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी.....पिता/पति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....सत्यनिष्ठा में घोषणा करता/करती हूँ' के स्थान पर 'मैं.....का/की पुत्र/ (पिता/पति का नाम)

पुत्री/पत्नी.....सत्यनिष्ठा में घोषणा करता/करती हूँ' पढ़ा (नाम स्पष्ट अक्षरों में)

जाएगा ।

5. पृष्ठ 1226/4 पर 'सत्यापन' शीर्ष की पांचवीं पंक्ति में '19' अंक में पहले 'व' के स्थान पर 'वे' पढ़ा जाएगा ।
6. उसी शीर्ष की सातवीं पंक्ति के अन्त में 'पास' के बाद '/' का चिह्न लगाया जायेगा ।
7. इससे अगली पंक्ति के अंत में 'गई है' के बाद '/' का चिह्न लगाया जायेगा ।
8. इसी पंक्ति में 'और से' के स्थान पर 'और से' पढ़ा जायेगा ।
9. इससे अगली पंक्ति में 'बाबत में' के स्थान पर 'बाबत में' पढ़ा जायेगा ।
10. उसी पृष्ठ पर नीचे से तेरहवीं पंक्ति के आरम्भ में 'उक्त व्यक्ति के' स्थान पर 'उक्त व्यक्ति की' पढ़ा जायेगा ।
11. उसी पृष्ठ पर नीचे से ग्यारहवीं पंक्ति में 'ली गयी जानी' के स्थान पर 'ली जानी' पढ़ा जाएगा ।

12. पृष्ठ 1226/5 पर ऊपर से ग्यारहवीं पंक्ति में 'कृषि भूमि' पर 'X' का चिह्न निकाल दिया जायेगा।
13. उसी पृष्ठ पर ऊपर से बारहवीं पंक्ति में कोष्ठक में 'नगरीय' के स्थान पर 'अनगरीय' पढ़ा जायेगा।
14. पृष्ठ 1226/6 पर नीचे से पन्द्रहवीं पंक्ति में '(ivक)' के स्थान पर '(i-क)' पढ़ा जायेगा।
15. उसी पृष्ठ पर नीचे से तेरहवीं पंक्ति में 'विवरणीय' के स्थान पर 'विवरणी' पढ़ा जायेगा।
16. उसी पृष्ठ पर सबसे नीचे की पंक्ति में 'अभिप्रत' के स्थान पर 'अभिप्रेत' पढ़ा जायेगा।
17. पृष्ठ 1226/7 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति में 'निर्धारित' के स्थान पर 'निर्धारिती' पढ़ा जायेगा।
18. उसी पृष्ठ पर नीचे से पांचवीं पंक्ति में 'क्षेत्र' के बाद '††' के स्थान पर '†' लगाया जायेगा।
19. उसी पृष्ठ पर नीचे से चौथी पंक्ति में 'स्थिति' के स्थान पर 'स्थित' पढ़ा जायेगा।
20. पृष्ठ 1226/8 पर ऊपर से दसवीं पंक्ति में 'क्षेत्र' के बाद लगे '††' के स्थान पर '†' लगाया जायेगा।
21. उसी पृष्ठ पर 'जोड़िये' शीर्ष की तीसरी पंक्ति में 'संगठन' के स्थान पर 'संगम' पढ़ा जायेगा।
22. पृष्ठ 1226/9 पर प्रथम पंक्ति में 'निर्धारित' के स्थान पर 'निर्धारिती' पढ़ा जायेगा।
23. उसी पृष्ठ पर ऊपर से आठवीं पंक्ति में 'अन्तर्गत' के स्थान पर 'अन्तर्गत' तथा उससे अगली पंक्ति में 'शयर' के स्थान पर 'शेयर' और उससे अगली पंक्ति में भी 'शयर' के स्थान पर 'शेयर' पढ़ा जायेगा।
24. पृष्ठ 1226/13 पर उपाबंध 9 की दूसरी पंक्ति में 'बाहर' के बाद 'और' हटा दिया जायेगा।
25. पृष्ठ 1226/14 पर उपाबंध II की प्रथम पंक्ति में 'विवरण' के स्थान पर 'विवरणी' पढ़ा जायेगा।
26. पृष्ठ 1226/15 पर उपाबंध 12 की तालिका के तीसरे शीर्ष 'मूल्य' के नीचे 'रु०' भी लिखा जायेगा।
27. उसी पृष्ठ पर पैरा 1क (i) में 'सरकार' के स्थान पर 'सरकारों' पढ़ा जायेगा।
28. पृष्ठ 1226/16 पर पैरा 5 में 'आस्तियों' के स्थान पर 'आस्तियाँ' पढ़ा जायेगा।
29. उसी पृष्ठ पर उपाबंध 13 की दूसरी पंक्ति में 'जान वाले' के स्थान पर 'जाने वाले' पढ़ा जायेगा।
30. उसी पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में 'नीचे' के स्थान पर 'नीचे' पढ़ा जायेगा।
31. पृष्ठ 1226/17 पर 'टिप्पण' की दूसरी पंक्ति में 'या' से पहले 'है' निकाल दिया जायेगा।
32. उसी पृष्ठ पर 'घटाइये' शीर्ष की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द 'प्रतिशेष' के स्थान पर 'अतिशेष' पढ़ा जायेगा।

[म० 329/फा० म० 142(13)/72-टी पी एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।